प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के दौरान कथन कहे कि यह कहना विवादित आराजी का प्रार्थीगण स्वयं खातेदार काश्तकार है। तहसीलदार कोटकासिम के निर्देशानुसार विवादित आराजी की पैमाईश पूर्व में की जा चुकी है। जो सही है। इसलिए यदी न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करता है तो अप्रार्थी संख्या 05 को कोई आपत्ती नही है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन व बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता के सघन मनन करने पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का विवेचन इस प्रकार है कि विवादित आराजी का प्रार्थीगण स्वयं खातेदार कास्तकार है। ऐसी स्थिति में यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता हैं।

निर्णय

अतः उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार कोटकासिम को आदेशित किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 441/335/0.9700, 442/335/0.6300 है0 वाके ग्राम खैराल तहसील कोटकासिम जिला अलवर हाल जिला खैरथल तिजारा राज0 से लगती आराजी के सभी काश्तकारो को विधिवत रूप से पूर्वसूचित कर उनकी मौजूदगी में पुनः पैमाईश कर पत्थरगढी की जावें। अहकाम जारी हों।

आज दिनांक 25.07.2024 को आदेश मेरे द्वारा लिखावाया जाकर न्यायालय की मुद्रा से जारी करने बाद खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष यादव)
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम, खैरथल-तिजारा राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Yadav
Date: 2024.08.13 11:56:58 IST
Reason: SelfAttested